49

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2140–I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–8–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, मण्डल छतरपुर प्रकरण कमांक 88/अ–12/2013–14

मुन्नीलाल अहिरवार पुत्र श्री नन्नाई अहिरवार
निवासी राधेपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) .....आवेदक

विरूद्ध

1– भगवानदास पुत्र भुवानीदीन पटेल
2– चिन्जी पत्नी श्री भगवान दास
3– कडोरी पुत्र श्री दराईया पटेल
4– रज्जू पुत्र भगवान दास
5– श्यामबाई पत्नी परउ पटेल
निवासीगण राधेपुर तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.) .....अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक क.–1,2,3 की ओर से योगेन्द्र भदौरिया)
(अनावेदक क.–4 व 5 सूचना उपरांत अनुपस्थित)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8-2- 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक, मण्डल छतरपुर के प्रकरण कमांक 88/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–8–2014 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा सरानी तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1954/1 रकवा 1.647 हैक्टर का अनावेदिका श्यामबाई पत्नी परउ पटेल आदि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीमांकन कराये जाने बाबत् म.प्र.भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को प्रकरण कमांक 88/अ–12/2013–14 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 26–8–2014 को सीमांकन स्वीकृत किया गया। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, आवेदक के सीमांकन के बाद अनावेदक द्वारा खसरा नंबर 1954 का सीमांकन कराया है जिसमें आवेदक को सूचना सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। आवेदक की अनुपस्थिति मे सीमांकन किया गया है। उक्त सीमांकन में आवेदक की तरमीम शुदा भूमि खसरा नंबर 1947/3 का कुछ भाग सीमांकन के पश्चात अनावेदिका क–5 के हिस्से में चला गया ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन आदेश दिनांक 26–8–2014 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि, आवेदक एवं उसके भाई द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन दिनांक 18–11–2012 को कराया गया । जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके वाद आवेदक द्वारा अपनी आराजी का दिनिांक 22–4–2013 को विधिवत् तरमीम भी करायी है। ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा बाद में कराया गया सीमांकन अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतं में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– अनावेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त सरहदी कृषकों को व आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। सीमांकन के समय आवेदक मौक पर उपस्थित थे। पंचनामा पर आवेदक द्वारा निशानी अगूँठा लगाया गया है। अतं में उनके द्वारा निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, अनावेदिका क–5 अंय द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा'129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–129 सर्वेक्षण संख्याक या उपखंड या भू–खण्ड संख्याक का सीमांकन–(1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितवद्व पक्षकार केआवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की यष उपखंड या भू–खण्ड संख्यांक की सीमांओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। इस संबंध में 1996 आर.एन. 357 गीताशर्मा विरूद्ध म.प्र.राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायद्वष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि:– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–129 सीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1998 आर.एन. 106 उच्च न्यायालय में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि– सीमांकन हितवद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितवद्ध पक्षकार होता है।

इस प्रकरण में विचारणीय विन्दु यह है कि, आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान एवं निगरानी में लेख किया गया है कि, आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना एवं सुनवाई का मौका दिये बगैर आवेदक की अनुपस्थिति में अवैध सीमांकन किया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–8–2014 को आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण में संलग्न पंचनामा (प्रदर्श–2) पर आवेदक मुन्नीलाल अहिरवार का अगूँठा निशानी लगा हुआ है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई का मोका दिया जाकर, धारा–129 के तहत प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, पंचनामा प्रदर्श पी–2, नक्शा ट्रेश प्रदर्श पी–3, फील्डबुक प्रदर्श पी–4 पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति न आने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त हितवद्ध पक्षकारों , पटवारी हल्का,उपस्थित पंचो तथा पुलिस वल के समक्ष स्थाई नाला एवं रोड को आधार मानकर टी.एस.एम. मशीन द्वारा एवं जरीव चलाकर विवादित भूमि की नाप की

जाकर, विधिवत सीमांकन किया है। जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है। तथा राजस्व निरीक्षक, मण्डल छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 88/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–8–2014 विधिसंमत होने से यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर